[illegible]

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no-01372—252175

पत्रांक 341 /12—1 ,गोपेश्वर, दिनांक 27/07 2021।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग, थराली।

विषयः— जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत लोल्टी कस्बीनगर मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0 2847/FP/U/Road/32572/2018 दिनांक 16.06.2021. एवं इस कार्यालय की पत्र सं0 86/12—1 दिनांक 05.07.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्ति दिनांक 31.12.2020 द्वारा चाही गयी बिन्दुओं पर परिपूर्ण आख्या मांगी गयी है,परन्तु आतिथि तक भी इस कार्यालय को सम्बन्धित रिपोर्ट प्राप्त नही हुई, जिसके सम्बन्ध में पुनः अवगत कराना है कि बिन्दु सं0 03 में गैर वन भूमि (नाप भूमि) 1.70 है0 में प्रभावित वृक्षो की सूची मांगी गयी, परन्तु आपके द्वारा प्रस्ताव में संलग्न वृक्षो की सूची में नाप भूमि में कोई भी वृक्ष नही दशायें गये है, तथा आपकी पत्र सं0 234/36सी0 दिनांक 10.02.2021 से बिन्दु सं0 03 में काश्तकारो के नाप भूमि में कोई भी वृक्ष को क्षति नहीं पंहुचायी गई है। आपके द्वारा पूर्व में दिये गये उत्तर से यह प्रतीत होता है कि आप द्वारा वृक्षो के सम्बन्ध में जानकारी पूर्व में निर्मित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में बताया गया है जबकि भारत सरकार द्वारा प्रभावित कुल 1.70 है0 गैर वन भूमि (नापभूमि) में प्रभावित होने वाली वृक्षो की जानकारी प्रस्तुत नही की गयी है के सम्बन्ध में आख्या मांगी गयी है।

अतः आप प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में आ रहे ग्रामीणो की नाप भूमि में वृक्षो की गणना हेतु वन क्षेत्राधिकारी मध्य पिण्डर रेंज से सम्पर्क स्थापित करते हुए गणना करते समय नापभूमिधर की एन0ओ0सी0 भी दिखाते हुए वृक्षो की गणना सूची व एन0ओ0सी0 की एक प्रति संलग्न कर यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। ताकि प्रकरण समयान्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः— 341 /12-1 दिनांकत।

प्रतिलिपिः— वन क्षेत्राधिकारी, मध्य पिण्डर रेंज, थराली को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकरण में लोक निर्माण विभाग, थराली के तत्समय सम्पर्क स्थापित करते हुए नापभूमिधरो के भूमि में आ रहे वृक्षो की गणना सूची तीन दिवस के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे तथा भविष्य में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में नाप भूमिधरो की भूमि में आ रहे वृक्षो की भी गणना करना सुनिश्चित करे।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

O/C

Scanned with CamScanner